


22/11/19

2018
218
वील देती

वकील काड़ी उपाय प्रतिकारण
की लक्ष्मी रविंद्रा एक अद वक्तव्य
पेशा आने हेतु दि० 20/3/19 व
14/11/19 को वकील वादी को
अध्यादेशित न आंशिक अवरुद्धिये
लक्ष्मी के उपरान्त की पेशा नहीं
किये। अतः अन्तर्गत धारा-09ROSCPE
के तहत प्राप्ता पार्थी अदक लक्ष्मी
(NON-Compliance) में खाति कि
लक्ष्मी पक्षवर्ती नभवा से कर
होका मुक्त वाद के साथ सलग
हो। सुभाषाका


सहायक कलक्टर
अलवर